

श्रीमानजी, -

ग्राम न्यारां के खाता न. 217 खसरा न. 11/10/25 परवाही रिपोर्ट में खातेदार हरलाल पुत्र बीसा जाति गुर्जर (शेष खसरा न. 11/10/25) पूर्व जमाबंदी के अनुसार खातेदार हरलाल पुत्र बीसा जाति नर्सि दर्ज हैं।

अतः हरलाल पुत्र बीसा जाति गुर्जर के स्थान पर श्री हरलाल पुत्र बीसा जाति नर्सि दर्ज करा दिया जा रहा है।
भू अभिलेख निदेशक, जिला नसीरावाद, दिनांक 29.10.25

श्रीमानजी

मुलाखते रिपोर्ट परवाही तथा प्राणी रहे खातेदार के सहमति तथा पत्र तथा वकील जमाबंदी में प्राणीगण के द्वारा श्री हरलाल की वकील जमाबंदी खातों 170 में दर्ज जाति नर्सि के आधार पर वकील मुलाखते रिपोर्ट में हरलाल पुत्र बीसा की जाति गुर्जर के आधार पर नर्सि दर्ज किया जा रहा है।
उपरोक्त रिपोर्ट दिनांक 11/10/25

तहसीलदार की रिपोर्ट

रिपोर्ट परवाही हल्का एवं भू. अनि. की जांच तथा तहसीलदारों द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र के आधार पर इन्द्राज पुरुक्षी की अनुशंसा की जाती है।

2025

792

पृष्ठ/ 459

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

शिविर प्रभारी
तहसीलदार (भू. अ.) नसीरावाद

दिनांक:- 27-10-25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। परवाही हल्का की रिपोर्ट एवं भू. अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीरावाद की अनुशंसा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील नसीरावाद की जमाबंदी सम्यत 2024-25 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी का निम्नलिखित रूप में गृह्य किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

पूर्व इन्द्राज का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
.....

उपरोक्त में इन्द्राज दुरुस्ती सिद्ध नहीं है।
के कारण उपरोक्त खाते ठीक खाते हैं।

क्रमांक:- 5860-61 दिनांक:- 29-10-25

प्रतिलिपि:- 1. तहसीलदार नसीरावाद
2. आदेश परवाही

प्रभारी अधिकारी एवं अभिलेख निदेशक
नसीरावाद, जिला अजमेर

